संख्या–/508/एक–4–2020–111बी–4/2012

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 शासन।
4– पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–4 लखनऊ/दिनांकः 11 सितम्बर,2020

विषयः– कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत जन समस्याओं के निराकरण के संबंध में "सम्पूर्ण समाधान दिवस" (प्रत्येक माह के प्रथम एवं तीसरे मंगलवार को आयोजित) के आयोजन हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

कृपया "सम्पूर्ण समाधान दिवस" (प्रत्येक माह के प्रथम एवं तीसरे मंगलवार को आयोजित) के माध्यम से जन समस्याओं के निराकरण के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों संख्या–962/एक–4–2017–111बी–4/2012, दिनांक 21.07.2017, संख्या–13/2017/1729/एक–4–2017–111बी–4/2012, दिनांक 17.10.2017 एवं शासनादेश संख्या–16/2017/7808/एक–4–2017/111बी–4/2012, दिनांक 08.12.2017 का संदर्भ ग्रहण करें।

2– उक्त आदेशों के क्रम में कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत जन समस्याओं के निराकरण के संबंध में "सम्पूर्ण समाधान दिवस" के आयोजन (प्रत्येक माह के प्रथम एवं तीसरे मंगलवार को आयोजित) हेतु निम्नवत् दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते हैंः–

(1) "सम्पूर्ण समाधान दिवस" ऐसी खुली जगह पर आयोजित किया जाए, जहॉ पर फरियादी लोगों को "सोशल डिसटेंसिंग" का पालन करते हुए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था हो।

(2) ''सम्पूर्ण समाधान दिवस'' के आयोजन के दौरान अनावश्यक भीड एकत्रित होने से रोकने हेतु टोकन सिस्टम के आधार पर एक समय में अधिकतम संख्या–15–20 फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण कराया जाय।

(3) ''सम्पूर्ण समाधान दिवस'' की कार्यवाही के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। सुनवाई के समय 05 से अधिक फरियादी टेबल के पास एकत्र न हों।

(4) ''सम्पूर्ण समाधान दिवस'' के आयोजन के पूर्व स्थल का सेनेटाईजेशन कार्य कराया जाए ।

(5) ''सम्पूर्ण समाधान दिवस'' में उपस्थित सभी फरियादियों द्वारा मास्क तथा सेनेटाईजर का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। फरियादियों को शासन द्वारा कोविड–19 महामारी को रोकने हेतु समय–समय पर निर्गत आदेशों से अवगत कराते हुए यह भी अवगत कराया जाए कि मास्क का उपयोग न किये जाने पर दण्ड का प्रावधान है।

(6) कोविड–19 से बचाव एवं रोकथाम की जानकारी प्रदान करने हेतु आयोजन स्थल पर कोविड–19 हेल्पडेस्क स्थापित की जाए। प्रत्येक आवेदक की थर्मल स्कैनिग की जाय। किसी भी अधिकारी/कर्मचारी एवं आवेदक में कोविड–19 के संक्रमण के लक्षण पाये जाने पर संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला चिकित्सालय को सूचित कर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(7) समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप अनिवार्य रूप से डाउनलोड कराया जाए तथा ''सम्पूर्ण समाधान दिवस'' में आने वाले समस्त आवेदकों को उक्त एप डाउन लोड करने हेतु प्रेरित किया जाय।

(8) ''सम्पूर्ण समाधान दिवस'' के आयोजन से संबंधित समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी कोविड–19 के संबंध में भारत सरकार व उ0प्र0 सरकार द्वारा समय–समय पर जारी मेडिकल प्रोटोकॉल व दिशा–निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे।

(9) आयोजन स्थल पर आने वाले फरियादियों के उपयोगार्थ सैनिटाइज़र की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

(10) ''सम्पूर्ण समाधान दिवस'' में प्राप्त शिकायतों के समाधान का अनुश्रवण नियमित रूप से जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त द्वारा किया जाये तथा शिकायतों के निस्तारण की अद्यावधिक सूचना इलेक्ट्रॉनिकली शासन के संबंधित पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड की जाय।

3– अतः पूर्व निर्गत शासनादेशों दिनांक 21.07.2017, 17.10.2017 एवं 08.12.2017 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया ''सम्पूर्ण समाधान दिवस''(प्रत्येक माह

के प्रथम एवं तीसरे मंगलवार को आयोजित) का आयोजन कोविड–19 से बचाव हेतु उपर्युक्त दिशा–निर्देशों का कडाई से अनुपालन करते हुए सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

संख्या–1408 (1)/एक–4–2020, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
(2) कृषि उत्पादन आयुक्त/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0शासन।
(3) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(4) स्टाफ आफिसर, अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (राजस्व विभाग) उ0प्र0 शासन।
(6) राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

11/9/2020

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव